भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 599

01 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

धान की खरीद संबंधी नीतियां

599. श्रीमती कविता मलोथू:

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

श्री दयाकर पसुनूरी:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) चावल खरीद नीतियों का पालन कर रहा है जिससे राज्यों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कारण है कि एफसीआई एक बार में पूरे वर्ष के लिए खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहा है;

(ग) क्या कारण हैं कि एफसीआई उत्पादन की गति के अनुरूप चावल की खरीद नहीं कर रहा है;

(घ) क्या राज्य उपयुक्त फसल पैटर्न की योजना बनाने में सक्षम नहीं हैं; और

(ड.) मंत्रालय किस प्रकार इस समस्या का समाधान करने की योजना तैयार कर रहा है, क्योंकि किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): देशभर में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद की पारदर्शी और एकसमान नीति मौजूद है। भारत सरकार की चावल खरीद नीति के संबंध में राज्यों के बीच भ्रम की कोई स्थिति नहीं है।

(ख): अनुमानित उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और कृषि फसल पैटर्न आदि पर आधारित- खरीफ के लिए जुलाई/अगस्त और रबी फसल के लिए फरवरी/मार्च में प्रत्येक विपणन मौसम की शुरुआत से पहले राज्य सरकारों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार द्वारा धान (चावल के संदर्भ में की खरीद हेतु अनुमानों) को अंतिम रूप दिया जाता है।

.....2/-

(ग): राज्य में खरीद सिर्फ उत्पादन पर ही निर्भर नहीं है अपितु अन्य कई कारकों जैसे विपणन योग्य अधिशेष, एमएसपी, प्रचलित बाजार दर, मांग और आपूर्ति की स्थिति और निजी व्यापारियों की भागीदारी आदि पर भी निर्भर है।

विभिन्न राज्यों में उत्पादन का खरीद अनुपात अलग-अलग है जो वास्तविक विपणन योग्य अधिशेष पर निर्भर करता है जिसका आकलन स्थानीय खान-पान की आदतों, उगाई गई किस्मों के आधार पर किया जाता है जो स्थानीय स्वाद के अनुकूल और/अथवा उच्चतर बाजार मूल्य, राज्य से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के निर्यात तथा देश में व्यापार आदि के अनुसार होती है।

किसी भी राज्य में किसानों द्वारा निवल विपणन योग्य अधिशेष की मात्रा को प्रस्तुत किया जाता है।

विगत तीन वर्षों के लिए उत्पादन की तुलना में खरीद (चावल के संदर्भ में) निम्नानुसार है:

खरीफ विपणन मौसम	उत्पादन (लाख टन में)	खरीद (लाख टन में)
2018-19	1164.78	443.99
2019-20	1188.70	518.26
2020-21	1222.65	600.74

उपर्युक्त से, यह देखा गया कि उत्पादन की तुलना में खरीद में निरंतर वृद्धि हो रही है जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की सर्वाधिक पहुंच को दर्शाता है।

(घ): भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि फसल विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दलहन/तिलहन/बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है ताकि किसानों को ऐसी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित/प्रेरित किया जा सके और उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके।

(ड.) भारत सरकार द्वारा किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाती है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसानों तक पहुंच और खरीद की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे किसानों को बड़ी संख्या को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है।

*****